न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

26/6/24

मु0न0:– 28/2023

उनवानः– बृजलाल बनाम भूरसिंह वगै0

पत्रावली पेश हुई, सायल वकील उपस्थित, सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात कुल किता 8 कुल रकवा 0.97 है0 मे सायल 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से मे दावे के प्रतिवादी न0 4 ता 12 खातेदार है। वर्णित आराजीयात का मौके पर बाहमी बटवारा कर रखा है जिसमे सायल के हिस्से व कब्जे मे ख0न0 377 रकवा 0.15 है0 पूर्ण व अन्य खसरा नम्बरान आये है। ख0न0 377 रकवा 0.15 है0 मे हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है बकिया हिस्से के दावे मे प्रतिवादी न0 14 व 15 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। सायल की गैर मौजूदगी मे गैरसायलान ने ख0न0 377 मे 4–5 ट्राली पत्थर डाल दिये। जबरदस्ती गैरसायलान द्वारा सायलान के हिस्से की आराजी पर कब्जा करना चाहते है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 18.05.2022 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाकर गैरसायला को पाबन्द फरमाया जावे।

सायल वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम भादौली की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता न0 46 मे कुल किता 8 कुल रकवा 0.97 है0 मे सायल 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से मे दावे के प्रतिवादीगण जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। लेकिन गैरसायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड नही है। पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे साबित होने से न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.06.2023 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है। अर्थात गैरसायलान को ता दावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम भादौली की आराजी ख0न0 377/0.15 है0 मे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:58:37 IST
Reason: SelfAttested